

कृष्णा जल विवाद

प्रलिस के लयः

कृष्णा जल वलवऱ नुयायाधकरण- II (KWDT-II), [अंतर-राज्य नदी जल वलवऱ अधनलयऱ \(ISRWD\)-1956](#), कृष्णा नदी, [भारतीय संवधऱन का अनुच्छेद 262](#)

मेन्स के लयः

कृष्णा जल वलवऱ, कृष्णा जल वलवऱ नुयायाधकरण-II, अंतर-राज्यीय जल वलवऱ

[सुरतः पी. आई. बी.](#)

चरुा में कुर्युं?

केंदुरीय मंत्रमंडल ने तेलंगाना और आंधुर प्रदेश (AP) राजुर्युं के बीच नररुणय हेतु [अंतर-राज्य नदी जल वलवऱ अधनलयऱ \(ISRWD\)-1956](#) के तहत मूजूदा कृष्णा जल वलवऱ नुयायाधकरण- II (KWDT-II) के लयऱ एक अन्य संदरुभ की शरुतुं (ToR) के मुदुदे को मंजूरी दे दी है ।

कृष्णा जल वलवऱ नुयायाधकरण-II (KWDT-II):

- कृष्णा जल वलवऱ नुयायाधकरण-II का गठन केंदुर सरकार दुरारा अपुरैल 2004 में ISRWD अधनलयऱ, 1956 की धारा 3 के तहत कृष्णा नदी से संबंधतऱ **जल-वतरण/नरुयऱतरण वलवऱदुं को नपऱटाने और सुलझाने के लयऱ** कयऱ गयऱ थऱ ।
- इसका गठन महाराषुदुर, कर्नाटक और आंधुर प्रदेश **राजुर्युं के बीच कृष्णा नदी के जल-वतरण/नरुयऱतरण** वलवऱद का समाधान करने के लयऱ कयऱ गयऱ थऱ ।
- KWDT-II ने जल की उपलबुधता, राजुर्युं को इसकी आपुरतऱ और अन्य पुरासंगकऱ कारकुं के आधार पर **कृष्णा नदी के जल की अनुशंसा एवं आवंटन सुनशऱकतऱ** कयऱ । इसने पुरतुयेक राजुर्युं को एक नशऱकतऱ मातरा में जल उपलबुध करायऱ, इसमें उस पुरतुयेक हसऱसे को रेखऱंकतऱ कयऱ गयऱ जसऱ वे पुरापुत करने के हकदार थे ।

कृष्णा जल वलवऱदः

- **परचऱयः**
 - कृष्णा जल वलवऱद महाराषुदुर, कर्नाटक, तेलंगाना और आंधुर प्रदेश राजुर्युं के बीच **कृष्णा नदी के जल के नुयायसंगत वतरण पर केंदुरतऱ** है ।
 - कृष्णा नदी इन राजुर्युं से हुकर बहती है और वलवऱद उतुपनुन होने का पुरमुख कारण राजुर्युं की अलग-अलग जुररुतुं, ऐतहऱसकऱ मतभेद और राजनीतकऱ व पुरशासनकऱ पुरदऱशुय में बदलाव है ।
- **पृषुठभूमाऱः**
 - **वलवऱद का केंदुरः** आंधुर प्रदेश में कृष्णा नदी पर सुथतऱ शुरीशैलम बाँध **वलवऱद का पुरमुख केंदुर** है । आंधुर प्रदेश ने वदऱयुत उतुपादन के लयऱ शुरीशैलम बाँध के जल के तेलंगाना दुरारा उपयोग का वरुधऱ कयऱ ।
 - **वलवऱद की पृषुठभूमाऱः** इस वलवऱद का संबंध वरुष 1956 में आंधुर प्रदेश के गठन से है और इसका समाधान वरुष 1973 में **कृष्णा जल वलवऱद नुयायाधकरण (KWDT)** के माधुयम से कयऱ गयऱ थऱ । कृष्णा नदी के जल को पुनः आवंटतऱ करने के लयऱ वरुष 2004 में **दूसरे कृष्णा जल वलवऱद नुयायाधकरण** की सुथापना की गई थी ।
 - **KWDT आवंटन (वरुष 2010):** दूसरे कृष्णा जल वलवऱद नुयायाधकरण दुरारा वरुष 2010 में पुरसुतुत की गई रऱपुऱरुत में कृष्णा नदी के जल का आवंटन इस पर **65% नरऱभरता** और अधशऱषऱ पुरवाह के लयऱ नमऱनऱनुसार कयऱ गयऱः
 - महाराषुदुर के लयऱ 81 हजुरार मलयऱन घन (TMC) फीट, कर्नाटक के लयऱ 177 TMC और आंधुर प्रदेश के लयऱ 190 TMC ।
 - **आंधुर प्रदेश की चुनूतऱयऱः** वरुष 2011 में आंधुर प्रदेश ने एक वशऱषऱ अनुमतऱ यऱकऱका सहतऱ कानूनी कारुयवाही के माधुयम से सरुवुकुच नुयायालय के समकुष KWDT दुरारा कयऱ गये आवंटन को चुनूतऱ दी ।

- वर्ष 2013 में KWDT ने एक **अन्य रपिर्ट** जारी की, जिसे वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश द्वारा फरि से **सर्वोच्च न्यायालय** में चुनौती दी गई।
- तेलंगाना के गठन के बाद वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश ने चार राज्यों के बीच कृष्णा जल आवंटन की समीक्षा की मांग की।
- महाराष्ट्र और कर्नाटक ने तर्क प्रस्तुत किया कि **तेलंगाना का निर्माण आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद हुआ था**। इसलिये जल का आवंटन आंध्र प्रदेश के हिससे में से होना चाहिये, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी।
- **संवैधानिक ढाँचा:**
 - **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262** अंतरराज्यीय जल विवादों के न्यायनियमन का प्रावधान करता है, जिसे संसद को इस उद्देश्य के लिये कानून बनाने की अनुमति मिलती है।
 - **अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956** केंद्र सरकार को राज्यों के बीच जल विवादों को सुलझाने के लिये तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।
- **वर्तमान स्थिति:**
 - KWDT संदर्भ की नई शर्तें प्रदान करेगा जिसके तहत न्यायाधिकरण भविष्य में कृष्णा नदी के जल को दोनों राज्यों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विभाजित करेगा।
 - यह दोनों राज्यों में विकासात्मक या भविष्य के उद्देश्यों हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं के लिये परियोजना-वार जल आवंटित करेगा।

कृष्णा नदी:

- **स्रोत:** इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर (सतारा) के नजिक होता है। यह गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
- **दूरेनेज:** यह बंगाल की खाड़ी में गरिने से पहले चार राज्यों महाराष्ट्र (303 कि.मी.), उत्तरी कर्नाटक (480 कि.मी.) और शेष 1300 कि.मी. तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है।
- **सहायक नदियाँ:**
 - **दाई ओर की सहायक नदियाँ:** घटप्रभा, मल्लप्रभा और तुंगभद्रा।
 - **बाई ओर की सहायक नदियाँ:** भीमा, मुसी और मुन्नेरु।



- **जलवदियुत विकास:**
 - कृष्णा नदी बेसिन में प्रमुख जल वदियुत स्टेशन कोयना, तुंगभद्रा, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, अलमाटी, नारायणपुर और भद्रा हैं।
- **पौराणिक महत्त्व:**
 - कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली एक विशालकाय नदी है। इसे पुराणों में कृष्णवेना अथवा योगनीतंत्र (एक तांत्रिक ग्रन्थ) में कृष्णवेणी के नाम से जाना जाता है।
 - इसे **जातकों और खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में कान्हापेन्ना** के नाम से भी जाना जाता है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/krishna-water-dispute-1>

